कमलेश / प्रहलाद

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
25.2.21	पत्रावली पेश हुई। सरिश्ते रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ संलग्न अन्तरिम स्थगन प्रार्थना-पत्र पर अपी० अभिभाषक को एकपक्षीय सुना तथा अदालत तहत की आदेशिकाओं का अवलोकन किया। आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहत अदालत द्वारा दिनांक 19.11.19 को एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये स्थगन जारी किया है तथा प्रतिवादीगण की तामील जरिये Regd. सम्मन करवाये जाने के आदेश दिये गये। किंतु आदिनांक तामील आदिनांक वादीगण द्वारा प्रतिवादी/अपी. की तामील नहीं करवाई गई है और इसी कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ है। CPC के प्रावधानों के अनुसार 30 दिवस में दूसरे पक्ष को सुनकर अन्तरिम स्थगन का निर्णय किया जाना चाहिये किंतु तहत अदालत द्वारा आदिनांक तक प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया है, जिस कारण अपीलांट उक्त स्थगन से आदिनांक तक पीड़ित है। अतः तहत अदालत के आदेश दिनांक 19.11.19 प्रकरण संख्या 240/19 उनवान प्रहलाद सिंह/कमलेश देवी का प्रचलन निरस्त करते हुये उभयपक्षकारान को सुनकर अन्तरिम स्थगन पर आगामी दो माह में निर्णय करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है तथा अपीलांट को तहत अदालत में उपस्थित होकर चाराजोही करने के निर्देश दिये जाते हैं। पत्रावली कौशल कुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर की जावे। [signature] 25/2/2021 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर	